भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

18 JUN 2021

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

47AE 501758

यह जनरल ... जमुना देवी अग्रवाल मैमोरियल संस्थान

जिला झाँसी पत्रावली सं० J-19245

संशोधित स्मृति पत्र के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० झाँसी

Rahul Singh
11/08/2021

केन्द्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक समितियां उत्तर प्रदेश, झाँसी

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

स्मृति पत्र (संशोधित)

1. संस्था का नाम — जमुना देवी अग्रवाल मेमोरियल समिति
2. संस्था का पता — 44, मातापुरा पोस्ट उरई जिला--जालौन
3. संस्था का कार्यक्षेत्र -- उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य --

1-- भारतीय जनता के सामाजिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शारीरिक, ग्रामोद्योगिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नति का प्रयास व प्रसार करना ताकि समाज सभ्य शिक्षित एवं समृद्धशाली हो सके।

2-- शिक्षा जगत मे संस्था द्वारा महत्वपूर्ण योगदान करते हुए उसका प्रचार–प्रसार तथा बहुमुखी विकास हेतु प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय का निर्माण करना, एकेडेमिक डिग्री कालेज खोलना टीचर एजूकेशन शिक्षा फिजिकल एजूकेशन शिक्षा तथा मेडिकल कालेज एवं इंजीनियरिंग कालेज खोलकर सभी विषयों एवं सभी भाषाओं में प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध करना।

3-- विकलांग व कुष्ठ रोगियों हेतु शिक्षण संस्थान स्वावलम्बन हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों होस्टल एवं निःशुल्क चिकित्सा केन्द्रो की व्यवस्था करना।

4-- महिलाओं के सर्वागींण विकास हेतु निराक्षित महिला कल्याण केन्द्रों नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रो, बाल एवं शिशु पालन ग्रहो, सिलाई, कताई, कढाई, बुनाई, नृत्य, गायन, वादन आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर उनका संचालन व प्रबन्ध कार्य करना।

5-- अल्पसंख्यक समाज के बालक--बालिकाओं हेतु शिक्षण एवं स्वावलम्बन केन्द्र हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों तथा दलित समाज के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन करना।

राकेश कुमार अग्रवाल
नेहा
नितिन
अमित कुमार
ज्योति अग्रवाल
मनीराम
Gaurav Agrawal

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।

राकेश अग्रवाल
Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

(6)

6– समग्र ग्राम्य विकास हेतु विभिन्न योजनायें, कुटीर व ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण आदि।

7– श्रमिकों एवं बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्य करना और विकास कार्यक्रम चलाना।

8– प्रदर्शनों एवं मेलों का आयोजन करना।

9– पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षारोपण व अन्य हरियाली के कार्य करना।

10– नशा उन्मूलन हेतु कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रचार-प्रसार करना।

11– बंजर भूमि ऊसर भूमि आदि को उपजाऊ एवं कृषि योग्य भूमि बनाने में सहयोग करना।

12– सामाजिक कुरीतियो जैसे–दहेज, छुआछूत, जनसंख्या नियंत्रण, विधवा विवाह, मद्यपान निषेध आदि के उन्मूलन हेतु कार्य करना।

13– नाटक कला संगीत एवं अभिनय कलाओं को प्रोत्साहन देना।

14– विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारी जैसे तपेदिक, एड्स, कुष्ठ, कैंसर एवं अन्य संक्रामक रोगों से बचाव हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

15– संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों के पूर्ति हेतु राज्य सरकार व केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों, अनुभागों तथा राज्य समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों, वित्तीय निगमों, वित्त एवं विकास निगमों, उत्तर प्रदेश, ग्रामोद्योग आदि संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना।

कार्यालय सहायक निबन्धक ... उत्तर प्रदेश, झाँसी

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।

राकेश कुमार अग्रवाल
नेहा
निधि
उत्तम कुमार
ज्योति अग्रवाल
मातीराम
Gaurav Agrawal

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

नियमावली (संशोधित)

1. संस्था का नाम — जमुना देवी अग्रवाल मैमोरियल [illegible]
2. संस्था का पता — 44, मातापुरा पोस्ट उरई जिला–ज[illegible]।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — उत्तर प्रदेश।
4. सदस्यता —

1– इस संस्था के सदस्य फाउण्डर [illegible] आजीवन साधारण सदस्य होंगे। कुल [illegible] 15 से अधिक नही होगी।

2– संस्था का आजीवन सदस्यता शुल्क 1100.00 (एक हजार एक सौ) रूपये होगी।

3– इन सदस्यो में से यदि कोई सदस्य इस्तीफा देता है या मृत्यु हो जाती है तो बहुमत के आधार पर प्रबन्ध समिति नया सदस्य बना सकती है, लेकिन उस सदस्य की उम्र 21 वर्ष से कम न हो तथा वह भारत का नागरिक हो।

5. सदस्यता की समाप्ति–

संस्था के सदस्यों को निम्नांकित कारणों से सदस्यता से वंचित किया जा सकता है।

1– सदस्य के त्याग पत्र देने पर।
2– सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
3– न्यायालय से दण्डित होने पर।
4– संस्था का बकायादार होने पर।
5– सदस्य के पागल अथवा दीवालिया होने पर।
6– संस्था में नियमावली के विरुद्ध कार्य करने तथा संस्था की प्रतिष्ठा को जानबूझ कर हानि पहुचाने पर।

6. संस्था के अंग — संस्था के निम्नांकित दो अंग होंगे।

1– साधारण सभा।
2– प्रबन्धकारिणी समिति।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।

ज्योति अग्रवाल

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

(अ) साधारण सभा–

(1) गठन– सभी फाउण्डर, आजीवन सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा [illegible] किया जायेगा।

(2) बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार [illegible] आवश्यकतानुसार कभी भी अध्यक्ष की अनुमति पर या 1/[illegible] सदस्यों [illegible] आवेदन पर बुलाई जा सकती है।

(3) सूचना अवधि– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व [illegible] बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को दी जायेगी।

(4) गणपूर्ति– कुल सदस्यों की 2/3 की उपस्थिति गणपूर्ति मानी [illegible] आभाव में स्थगित बैठको के लिए कोरम का प्रतिबन्ध नही होगा [illegible] पूर्ववत होंगे।

(5) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि संस्था प्रतिवर्ष [illegible] विशेष अधिवेशन का आयोजन करेंगे तिथि प्रबन्ध कारिणी द्वारा निश्चित की जायेगी।

6– साधारण सभा के कर्तव्य–

1– प्रबन्ध कारिणी समिति का चुनाव कराना।

2– वार्षिक बजट पारित करना।

3– समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए आय के श्रोत बनाना।

1– प्रबन्धकारिणी समिति–

क– गठन– प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव आजीवन फाउण्डर सदस्यों द्वारा किया जायेगा। सदस्यों की कुल संख्या 15 होगी, इन्हीं सदस्यों से प्रबन्धकारिणी समिति के निम्न पदाधिकारी चुने जायेगें। तथा प्रबन्ध समिति की संख्या [illegible] घटाई व बढाई जा सकती है।

1– अध्यक्ष

2– उपाध्यक्ष

3– प्रबन्धक/मंत्री

4– उपमंत्री/उपप्रबंधक

5– कोषाध्यक्ष

6– सदस्य

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

(ख) बैठकें— प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक मासिक ... में बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि— सामान्य बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व ... सम्यानुसार या एक दिन पूर्व सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को ... सकती है।

(घ) गणपूर्ति— कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों में से 2/3 ... ही गणपूर्ति मानी जायेगी, गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक ... होगी।

(ड़) रिक्त स्थानों की पूर्ति— प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों ... रिक्त स्थान होने पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा बहुमत के आधार पर सदस्य की पूर्ति की जायेगी।

(च) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य—

1— समिति के अन्तर्गत चलने वाले संस्थानों का प्रबन्ध करना, बजट पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।

2— समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपनियम बनाने, नियमों में परिवर्तन करना, पदाधिकारियों को विशेष अधिकार देने उपसमिति को बनाने ... में प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने व अन्य कार्यक्रम ... व उनके संचालन, प्रबन्ध व व्यवस्था करने के लिए प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगा।

3— वार्षिक बजट तैयार करने अनुमोदन हेतु साधारण सभा की बैठक के समक्ष प्रस्तुत करना।

4— आवश्यकतानुसार संस्था के लिए धन, बल व अचल सम्पत्ति स्वीकार करना तथा प्राप्त करना एवं संस्था के हित में नई योजनायें बनाना और उन पर क्रियान्वित करना।

5— कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन करना।

6— नियमावली में परिवर्तन करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।

राजेश कुमार अग्रवाल

नेहा

निशा

अनिल कुमार ज्योति अग्रवाल

मनीराम

Gaurav Agrawal

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

i. संस्थान के अन्तर्गत चलने वाली विभिन्न संस्थाऐं संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित होगी। आवश्यकता पड़ने पर चलने वाली संस्थाओं की प्रबन्ध समिति का गठन संस्थान के फाउन्डर मेम्बर से किया जायेगा।

ii. संस्थान के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं में यदि किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता महसूस होगी तो प्रबन्ध समिति द्वारा दो सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है।

iii. संस्थान के अन्तर्गत चलने वाले महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय प्रा0विद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडीकल कालेज, का संचालन [illegible] संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा संचालन किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर फाउन्डर सदस्यों से उक्त संस्थान की प्रबन्ध समिति का गठन किया जा सकता है।

iv. संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न बैकों के बैक खाता प्रबन्ध समिति द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अथवा किसी एक के हस्ताक्षर से खोला जायेगा। जिसका संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव अथवा उनमें से कोई एक भी कर सकता है। विभिन्न संस्थाओं के खाते अलग से खोले जायेंगे। जिनका संचालन उक्त संस्था के अध्यक्ष द्वारा अथवा सचिव द्वारा या दोनों को हस्ताक्षर से किया जा सकता है।

v. समिति द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं की आय व्यय की स्वीकृति [illegible] समिति से अनुमोदन कराना होगा।

vi. समिति द्वारा संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समिति 2/3 बहुमत के आधार पर भंग कर नयी समिति गठित कर सकती है।

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश, झाँसी

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।

राकेश कुमार अग्रवाल
नेहा
निधि
अनिल कुमार
मनीराम
Gaurav Agrawal
ज्योति अग्रवाल

राकेश अग्रवाल
Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

7— प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा जो कि [illegible] के दिन से गिना जायेगा।

8— प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

1— अध्यक्ष—

1-- संस्था की साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की अध्यक्षता करना।

2-- संस्था की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, किराये पर लेना व देना विभिन्न कार्यों की देखरेख करना और सुचारु रूप से चलाना तथा चलाने के लिए प्रबन्ध करना।

3-- संस्था के लिए समस्त धन, दान, अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना और उसके लिए यथाविधि रसीद देना।

4— समिति व उसके अन्तर्गत चलने वाली सभी संस्थाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करना व उन पर नियंत्रण रखना।

5— संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, सेवामुक्ति, वेतनबृद्धि, निलम्बन, बहाली करना तथा इसका अनुमोदन प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा कराना।

6-- शिक्षा संहिता शिक्षा विभाग, विधायक प्रशासन योजना व राज्य सरकार व केन्द्र सरकार मे प्रचलित प्राविधानों के अन्तर्गत अध्यक्ष के प्राप्त होंने वाले समस्त अधिकारों का पालन करना।

7— संस्था के हित में कार्यो के लिए 20,000/— (बीस हजार रू0) खर्च करने का नगद वाउचरों के रूप में अधिकार होगा इससे, अधिक खर्चों का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराना होगा।

8— समस्त बिल एवं बाउचरो पर हस्ताक्षर करना।

9— राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना तथा ऋण आदि प्राप्त करना।

10-- संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

राकेश कुमार (अध्यक्ष)

नेहा

नितिन

अमित कुमार

मनीराम

Gaurav Agrawal

ज्योति अग्रवाल

कार्यालय सहायक निबन्धक समितियाँ उत्तर प्रदेश, झाँसी

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।

राजेन्द्र अग्रवाल
Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

2– उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों ... तथा उनके कार्य में सहयोग प्रदान करना।

3– प्रबन्धक / मंत्री– 1– संस्था की साधारण बैठक एवं प्रबन्धकारिणी ... का आयोजन करना। एवं कार्यवाही का ब्यौरा रखना ... प्रस्ताव व आदेश को अध्यक्ष की अनुमति से ... करना।

2– संस्था का हिसाब किताब रखना, ... ऑडिट के बाद अध्यक्ष की अनुमति से रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी एवं साधारण सभा में रखना।

3– संस्था के हित में समय-समय ... करना।

4– अध्यक्ष द्वारा सौंपें गये कार्य को सुचारु रूप से क्रियान्वित करना।

5– सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से ... सहयोग एवं सहायता अध्यक्ष के सहयोग से प्राप्त करना।

4– उपप्रबन्धक / उपमंत्री– प्रबन्धक / मंत्री की देखरेख में तथा उनकी अनुपस्थिति में उन सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो प्रबन्धक द्वारा उपप्रबन्धक को सौपें गये हो।

5– कोषाध्यक्ष– समिति से सम्बन्धित समस्त आय एवं व्यय का हिसाब ... करना।

9– संस्था के नियमों व विनियमों का संशोधन करना –

साधारण सभा की विशेष बैठक जिसमें कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 की उपस्थिति हो, उपस्थित सदस्यों ... कम 2/3 के मतदान पर संस्था की नियमावली में नियम विनियम परिवर्तन परिवर्द्धन एवं संशोधन ... हो सकें।

10– कोष– राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोला जा सकता है। इसका संचालन अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थित में खाते का संचालन ... उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

11– ऑडिट– संस्था के समस्त अभिलेखों का ऑडिट [illegible] प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त ऑडिटर से कराना होगा।

12– संस्था द्वारा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के [illegible] से सम्बन्धित समस्त कानूनी [illegible] के न्यायालय में संस्था के अध्यक्ष के माध्यम [illegible]

13– संस्था के अभिलेख–

1– सदस्यता रजिस्टर
2– कार्यवाही रजिस्टर
3– कैश बुक
4– बाउचर फाइल
5– एजेण्डा रजिस्टर
6– स्टाक व सम्पत्ति आदि देवनागरी [illegible]

14– संस्था की सम्पत्ति एवं निधि का उपयोग व प्रयोग केवल [illegible] के उद्देश्यों की पूर्ती एवं संस्था के कार्यों व सम्पत्ति [illegible] के लिए किया जायेगा।

15– संस्था के लाभार्थी आमजन (पब्लिक) का हित [illegible] व्यक्ति।

16– संस्था का विघटन– संस्था का विघटन होने की स्थिति में संस्था [illegible] अचल सम्पत्ति उसके सभी दयित्वों के [illegible] शेष सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 13 व 14 के अनुसार होगी। संस्था के [illegible] पर जो कुछ भी सम्पत्ति व निधि शेष रह जायेगी [illegible] संस्था, ट्रस्ट, एशोसिएसन या इन्स्टीट्यूशन [illegible] संस्था के समान दानशील (चेरेटीबल) [illegible] दिया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 झाँसी।

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

प्रबन्धकारिणी सदस्यो के नाम, पद, व्यवसाय एवं पता जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	राकेश कुमार अग्रवाल	श्री नरेशचन्द्र	45, मातापुरा उरई जालौन	अध्यक्ष	व्यवसायी
2	गौरव अग्रवाल	श्री राकेश कुमार	45, मातापुरा उरई जालौन	उपाध्यक्ष	व्यवसायी
3	अनिल कुमार	श्री नरेशचन्द्र	45, मातापुरा उरई जालौन	प्रबन्धक / मंत्री	व्यवसायी
4	नितिन कुमार	श्री दयाशंकर	8, सिविलबोर्ड दमोह म0प्र0	उपप्रबन्धक / उपमंत्री	व्यवसायी
5	श्रीमती ज्योति अग्रवाल	श्री राकेश कुमार	45, मातापुरा उरई जालौन	सदस्य	समाजसेवी
6.	प्रदीप कुमार	श्री दयाशंकर	8, सिविलबोर्ड दमोह म0प्र0	सदस्य	शिक्षक
7	शिखा अग्रवाल	श्री राकेश कुमार	45, मातापुरा उरई जालौन	सदस्य	शिक्षक
8	नेहा अग्रवाल	श्री राकेश कुमार	45, मातापुरा उरई जालौन	सदस्य	शिक्षक
9	मनीराम	श्री कंची सराफे	कोटरा जिला जालौन	सदस्य	व्यवसायी
10	श्रीमती शारदा	श्री अशोक कुमार	दिल्ली राजधानी सोसाइटी प्लाट नं0 80 पहाडगंज दिल्ली	सदस्य	व्यवसायी
11	उमेश कुमार पाण्डेय	श्री रघुनाथ पाण्डेय	म0नं0 24 सिंह कालोनी आलमपुरा रूदपुर उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)	सदस्य	समाजसेवी
12	आशीष कुमार	श्री नरेशचन्द्र	सैक्टर N.A.-5 फ्लेट नं0 3 अजमेरा काम्पलेक्स टिम्परी पुणे (महाराष्ट्र)	सदस्य	समाजसेवी
13	अभिनाश	स्व0श्री जगदीश प्रसाद	शंकरनगर दुर्ग छत्तीसगढ़	सदस्य	समाजसेवी
14	अशोक कुमार अग्रवाल	स्व0श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल	कृष्णा काम्पलेक्स 3rd फ्लोर रूद्रसन सोलन 173212 जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)	सदस्य	समाजसेवी

6— हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है।

दिनाक—

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० झांसी

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP56823365921037U
Certificate Issued Date	:	30-Jul-2022 03:41 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14105104/ JALAUN/ UP-JLN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14105104058942024136950
Purchased by	:	JAMUNA DEVI AGRAWAL MAIMORIYAL SANSTHAN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	JAMUNA DEVI AGRAWAL MAIMORIYAL SANSTHAN
Second Party	:	NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By	:	JAMUNA DEVI AGRAWAL MAIMORIYAL SANSTHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP56826086698579U
Certificate Issued Date	:	30-Jul-2022 03:42 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14105104/ JALAUN/ UP-JLN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14105104059004047047 57U
Purchased by	:	JAMUNA DEVI AGRAWAL MAIMORIYAL SANSTHAN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	JAMUNA DEVI AGRAWAL MAIMORIYAL SANSTHAN
Second Party	:	NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By	:	JAMUNA DEVI AGRAWAL MAIMORIYAL SANSTHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

जमुना देवी अग्रवाल
मैमोरियल संस्थान
जालौन J19245
22-23

16/08/22

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

जमुनादेवी अग्रवाल मेमोरियल संस्थान
44, मातापुरा उरई (जालौन)

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की सूची।

(वर्ष 2022–23) 216

क्र0 स0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	राकेश कुमार अग्रवाल	पुत्र श्री नरेशचन्द्र	45, मातापुरा उरई जालौन	अध्यक्ष	व्यवसायी
2	गौरव अग्रवाल	पुत्र श्री राकेश कुमार	47, मातापुरा उरई जालौन	उपाध्यक्ष	व्यवसायी
3	अनिल कुमार	पुत्र श्री नरेशचन्द्र	47, मातापुरा उरई जालौन	प्रबन्धक/ मंत्री	व्यवसायी
4	नितिन कुमार	पुत्र श्री दयाशंकर	8, सिविलबोर्ड दमोह म0प्र0	उपप्रबन्धक /उपमंत्री	व्यवसायी
5	श्रीमती ज्योति अग्रवाल	पत्नी श्री राकेश कुमार	45, मातापुरा उरई	सदस्य	सोशल वर्कर
6	प्रदीप कुमार	पुत्र श्री दयाशंकर	8, सिविलबोर्ड दमोह म0प्र0	सदस्य	शिक्षक
7	शिखा मित्तल	पत्नी श्री मनीष मित्तल	सी0 40, हर्षबिहार अलीगंज	सदस्य	शिक्षक
8	नेहा गोयल	पत्नी श्री पुनीत गोयल	1/3 फालका बाजार,ग्वालियर	कोषाध्यक्ष	शिक्षक
9	मनीराम	पुत्र श्री कंची सर्राफ	130 गणेशगंज, कोटरा उरई जालौन	सदस्य	व्यवसायी
10	गौरव	पुत्र श्री कवीन्द्र अग्रवाल	मऊरानीपुर जिला झाँसी	सदस्य	व्यवसायी
11	वन्दना	पुत्री श्री श्याम बाबू	पटेल नगर कोंच	सदस्य	सोशल वर्कर
12	वैभव	पुत्र श्री कृष्णबिहारी	विशाल गेस्ट हाऊस यमुना रोड, औरेय्या	सदस्य	व्यवसायी
13	सोनल	पत्नी श्री गौरव अग्रवाल	47, मातापुरा उरई, जालौन	सदस्य	सोशल वर्कर

6–हम निम्न हस्तारक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना है।

Gaurav Agrawal सोनल अग्रवाल ज्योति अग्रवाल
राकेश कुमार अग्रवाल अनिल कुमार

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
16/03/22

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra Mahavidyalaya College of Pharmacy

फाउण्डर/आजीवन सभा के आजीवन सदस्यों की सूची

संस्था के नाम–जमुना देवी अग्रवाल मेमोरियल संस्थान उरई (जालौन) वर्ष 2022-23

(प्रारुप–4 बी) 2.

क्र0 स0	सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	व्यवसाय	सदस्यता का प्रकार	सदस्यता ग्रहण तिथि	सदस्यता शुल्क की धनराशि	सदस्यता शुल्क रसीद सं0 एवं दिनांक	शुल्क रसीद निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम एव पदनाम	कैशबुक में दर्ज प्रविष्टि का विवरण अर्थात् दिनांक एवं पृष्ठ सं0	बैंक पासबुक में दर्ज प्रविष्टि का विवरण	साधारण सभा की कार्यवाही जिसके द्वारा सदस्यता ग्रहण कराई गई
1	राकेश कुमार अग्रवाल	पुत्र श्री नरेशचन्द्र	45, मातापुरा उरई जालौन	व्यवसायी	फाउण्डर/ आजीवन सदस्य	पूर्व से	1100.00	पूर्व से	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	पूर्व से	पूर्व से	पूर्व से
2	गौरव अगवाल	पुत्र श्री राकेश अग्रवाल	47, मातापुरा उरई जालौन	व्यवसायी	फाउण्डर/ आजीवन सदस्य	पूर्व से	1100.00	पूर्व से	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	पूर्व से	पूर्व से	पूर्व से
3	अनिल कुमार	पुत्र श्री नरेशचन्द्र	47, मातापुरा उरई जालौन	व्यवसायी	फाउण्डर/ आजीवन सदस्य	पूर्व से	1100.00	पूर्व से	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	पूर्व से	पूर्व से	पूर्व से
4	नितिन कुमार	पुत्र श्री दयाशंकर	8 सिविलबोर्ड दमोह	व्यवसायी	फाउण्डर/ आजीवन सदस्य	पूर्व से	1100.00	पूर्व से	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	पूर्व से	पूर्व से	पूर्व से
5	श्रीमती ज्योति अग्रवाल	पत्नी श्री राकेश कुमार	45, मातापुरा उरई जालौन	सोशल वर्कर	फाउण्डर/ आजीवन सदस्य	पूर्व से	1100.00	पूर्व से	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	पूर्व से	पूर्व से	पूर्व से
6	प्रदीप कुमार	पुत्र श्री दयाशकर	8 सिविलबोर्ड दमोह	शिक्षक	फाउण्डर/ आजीवन सदस्य	पूर्व से	1100.00	पूर्व से	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	पूर्व से	पूर्व से	पूर्व से
7	शिखा मित्तल	पत्नी श्री मनीष मित्तल	सी0 40 हर्षबिहार अलीगंज	शिक्षक	फाउण्डर/ आजीवन सदस्य	पूर्व से	1100.00	पूर्व से	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	पूर्व से	पूर्व से	पूर्व से
8	नेहा गोयल	पत्नी श्री पुनीत गोयल	1/3 फालका बाजार ग्वालियर	शिक्षक	फाउण्डर/ आजीवन सदस्य	पूर्व से	1100.00	पूर्व से	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	पूर्व से	पूर्व से	पूर्व से
9	मनीराम	श्री कची सर्राफ	130 गणेशगंज कोटरा उरई जालौन	व्यवसायी	फाउण्डर/ आजीवन सदस्य	पूर्व से	1100.00	पूर्व से	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	पूर्व से	पूर्व से	पूर्व से
10	गौरव	पुत्र श्री कवीन्द्र अग्रवाल	मऊरानीपुर जिला झाँसी	व्यवसायी	आजीवन सदस्य	पूर्व से	02.12.21	15 02.08.2021	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	02.08.21	02.08.21	02.12.21
11	वन्दना	पुत्री श्री श्यामबाबू	पटेल नगर कोंच	सोशल वर्कर	आजीवन सदस्य	पूर्व से	02.12.21	16 02.08.2021	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	02.08.21	02.08.21	02.12.21
12	वैभव	पुत्र श्री कृष्णबिहारी	विशाल गेस्ट हाऊस यमुना रोड औरेया	व्यवसायी	आजीवन सदस्य	पूर्व से	02.12.21	17 02.08.2021	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	02.08.21	02.08.21	02.12.21
13	सोनल	पत्नी श्री गौरव अग्रवाल	47, मातापुरा उरई जालौन	सोशल वर्कर	आजीवन सदस्य	पूर्व से	02.12.21	18 02.08.2021	प्रबन्धक श्री अनिल कुमार	02.08.21	02.08.21	02.12.21

Gaurav Agrawal सोनल अग्रवाल ज्योति अग्रवाल अनिल कुमार

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

मन्त्री

जमुना देवी ...

राकेश कुमार अग्रवाल

अध्यक्ष

जमुना देवी अग्रवाल

राजेश कुमार

Chairman
Jamuna Devi Nareshchandra
Mahavidyalaya College of Pharmacy

Principal
Jamuna Devi Nareshchandra

18